दिनांक 30 मई, 1985

सं.ग्रो.वि./गुडगांवा/28-85/23268.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. सो0एन0एफ0प्रा0 लि0 चन्द्रनगर गुड़गांवा के श्रमिक श्री राजा राम तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रौद्योगिक विवाद है,

ग्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट वांछनीय समझते हैं।

इस लिए, ग्रब, ग्रौद्योगिक विवाद ग्रधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी ग्रधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए ग्रधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-88-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फ़रवरी, 1958 द्वारा उक्त ग्रधिसूचना की धारा 7 के ग्रधीन गठित श्रम न्यायालय फ़रीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त या उस से सुसंगत या उससे ग्रथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री राजा राम की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं.ग्रो.वि./फ़रीदाबाद/23275.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. जो0.जो0. टैक्सटाईल 22 ए0एन0 ग्राई0 टी0, फ़रीदाबाद के श्रमिक श्री नेपाल सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रौद्योगिक विवाद है;

ग्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं।

इस लिए, ग्रब, ग्रौद्योगिक विवाद ग्रधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करत हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी ग्रधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए ग्रधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-8-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फ़रवरी, 1958 द्वारा उक्त ग्रधिनियम की धारा 7 के ग्रधीन गठित श्रम न्यायालय फ़रीदाबाद को विवादगग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त या उस से सुसंगत या उस से संबंधित मामला है :—

क्या श्री नेपाल सिंह की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है।

सं.ग्रो.वि./फरीदाबाद/36-85/23282.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. फरीदाबाद काम्पलैक्स, प्रशासन फरीदाबाद के श्रमिक श्री चंचल कुमारी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रौद्योगिक विवाद है,

ग्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं।

इस लिए, ग्रब, ग्रौद्योगिक विवाद ग्रधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी ग्रधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए ग्रधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-88-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फ़रवरी, 1958 द्वारा उक्त ग्रधिसूचना की धारा 7 के ग्रधीन गठित श्रम न्यायालय फ़रीदाबाद की विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त या उस से सुसंगत या उससे संबंधित मामला है :—

क्या श्रीमति चंचल कुमारी की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं तो वह किस राहत की हकदार है?

सं.ग्रो.वि./भिवानी/111-84/23289.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै0 (1) परिवहन ग्रायुक्त, हरियाणा चण्डीगढ़ (2) हरियाणा राज्य परिवहन भिवानी के श्रमिक श्री सुभाष चन्द तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रौद्योगिक विवाद है:—

ग्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं।

इस लिए ग्रब, ग्रौद्योगिक विवाद ग्रधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी ग्रधिसूचना सं. 9641-1-श्रम,/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी ग्रधिसूचना सं0 3664-[illegible]-ए1.ग्रो.(ई)श्रम-70/1348 दिनांक, 8.5.1970 द्वारा उक्त ग्रधिनियम की धारा 7 के ग्रधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक को विवादग्रस्त या उसे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है, या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है;

क्या श्री सुभाष चन्द की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है?